

तारीख
हुक्म


10/02/2025

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रकरण 2/1/2025 निषेध

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने 2/2025

उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

